न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 31/2021

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1. हुकमसिंह पुत्र नीमसिंह 2. नारायणसिंह पुत्र नीमसिंह 3. कानसिंह पुत्र नीमसिंह 4. भंवरी पुत्री नीमसिंह 5. लीला पुत्री नीमसिंह 6. रेखा पुत्री नीमसिंह 7. गमनी पत्नी नीमसिंह 8. पदमसिंह पुत्र जगेसिंह 8/1पानी देवी पत्नी पदमसिंह 8/2 महेन्द्रसिह पुत्र पदमसिंह 8/3 शैतानसिंह पुत्र पदमसिंह 8/4 सुमित्रा पुत्री पदमसिंह 8/5 कौशल्या पुत्री पदमसिंह प्रकाशसिंह पुत्र जगेसिंह 9. झमकु पुत्री जगेसिंह 10. नेनु पत्नी जगेसिंह 11. झमकु पुत्री जगेसिंह 12. मदनसिंह पुत्र जोधसिंह 13. श्रवणसिंह पुत्र जोधसिंह 14. इन्द्रा पुत्री जोधसिंह 15. गणपतसिंह पुत्र भोमसिंह 16. लखमसिंह पुत्र भोमसिंह 17. भाणुसिंह पुत्र भोमसिंह 18. घीसीदेवी पत्नी भोमसिंह 19. मीना पुत्री नारायणसिंह 20. संग्राम पुत्र नारायणसिंह जातिगण रावत, निवासीगण गजनाई, तहसील सोजत, जिला पाली।		1 तहसीलदार, (भूमिधारक)सोजत

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 एवं 92 ए आर0टी0एक्ट 1955

उपस्थितिः—

1. श्री धर्मीचंद देवासी, अधिवक्ता वादी उपस्थित।
2. तहसीलदार सोजत प्रतिवादी स्वयं उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक — 22/05/2024

वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 एवं 92 ए आर0टी0एक्ट 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा ग्राम गजनाई, पटवार हल्का गुडाबींजा, तहसील सोजत में वादीगण के दादा व दादी ससुर दुर्गसिंह की खातेदारी सुदा कब्जा सुदा कृषि भुमि खसरा नम्बर— 622/1075 रकबा 1.2500 हैक्टर की आई हुई है, जिस कृषि भूमि पर वादीगण के दादा/दादी ससुर के समय से नियमित एवं शान्ति पूर्वक कब्जा चला आ रहा है। वादीगण के दादा/ससुर श्री दुर्गसिंह जी का आज से करीब 40 पूर्व देहान्त हो चुका है तथा वादीगण के पिता व

उपखण्ड अधिकारी

पति नीमसिंह, जगेसिंह, जोधसिंह, भोमसिंह का भी देहान्त हो चुका है। लेकिन शिक्षा के अभाव में विधिवत खातेदारी वादीगण हो प्राप्त नहीं हुई। साथ ही तत्कालीन पटवारी हल्का के द्वारा भी वारिशान से रूबरू होकर राजस्व रेकर्ड में खातेदारी की प्रक्रिया पूर्ण नहीं की, केवल मात्र गंवाई व पड़ोसी लोगों के कहने पर गलत राय से वादीगण के आधे–अधुरे नाम दर्ज कर दिये, जिससे वादीगण को राजकीय व केन्द्रीय लाभों से वंचित होना पड़ता हैं। उक्त कृषि भूमि खसरा नम्बर7 622/1075 रकबा 1.2500 हैक्टर कृषि भूमि में संवत 2029–30 वादीगण के दादा/दादी ससुर दुर्गसिंह का नाम दर्ज था तथा सेटलमेंट के पश्चात् जमाबन्दी संवत 2034 से 2044, तथा खतौनी संवत 2035, तथा जमाबंदी संवत 2048 से 2051 में वादीगण के दादा/दादी ससुर का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज था। वादीगण के पिता के देहान्त होने के कारण तथा वादीगण का बचपन होने के कारण से जानकारी नहीं हो पाई। तत्कालीन राजस्व अधिकारियों के द्वारा संवत 2052 से 2055, 2056 से 2059, तथा संवत 2060–2063 व 2064 से 2067 और 2068 से 2071, व 2076 से 2079 की सम्पूर्ण जमाबन्दीयों में राजस्व अधिकारी द्वारा वादीगण के दादा/दादी ससुर का नाम बिना किसी उचित कारण के हटा दिया। उसके पश्चात् संवत् 2076 से 2079 में की जमाबंदी में भंवरसिंह का 1/2 हिस्सा एवं रूपसिंह 1/2 हिस्सा दर्ज कर दिया। जबकि वादीगण के द्वारा पटवारी हल्का को सुचना दे दी कि उनके दादा व पिता का देहान्त हो चुका व उनकी माता का भी देहान्त हो चुका है, उनके नाम खामेदारी दर्ज की जावे। लेकिन पटवारी हल्का ने किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया। इस पर वादीगण ने दिनांक 17/08/2020 को राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त की तो सम्पूर्ण जमाबंदी का अवलोकन किया तो जानकारी में आया कि राजस्व अधिकारियों के द्वारा आज दिन तक वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज नहीं की है। नामान्तरण भी नहीं भरा है। दिनांक 21/08/2020 को वादीगण के पारिवारिक सदस्यों द्वारा एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार सोजत के समक्ष पेशकर वादीगण के दादा व रिश्तेदारों के नाम के स्थान पर खातेदारी दर्ज करने का निवेदन किया, तब श्रीमान तहसीलदार सोजत प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 21/08/2020 को ही नायब तहसीलदार बगड़ी नगर को नियमानुसार जांच कर विधिवत खातेदारी दर्ज करने का आदेश दिया। लेकिन आज दिन तक प्रतिवादी संख्या एक के द्वारा किसी प्रकार से वादीगण की खातेदारी हेतु कार्यवाही नहीं की, जिससे वादीगण के कानूनी अधिकारों का हनन हो रहा है। उक्त कृषि भूमि पर वादीगण के दादा के समय से पुश्तैनी खातेदारी व कब्जा सुदा है, इसके अलावा अन्य कोई मालिक व काबिज नहीं है, इसलिये यह वाद बाबत् राजस्व रेकर्ड में वादीगण को खातेदार काश्तकार दर्ज करने हेतु श्रीमान के समक्ष धारा 88,92(ए) आर.टी. एक्ट का बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगध के पेश है। बिनाय दावा वादग्रस्त कृषि भूमि वादीगण के पिता के खातेदारी की होने से तथा उसके पश्चात् जमाबन्दी परिवर्तन के समय अलग–अलग समय में पटवारी हल्का द्वारा भंवरसिंह के स्थान पर वारिश के नाम अंकित नहीं करने से तथा संवत 2052 के पश्चात् सम्पूर्ण चौसाला जमाबंदी बनाते समय वादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं करने से तथा दिनांक 17/08/2020 को राजस्व रेकर्ड की नकल प्राप्त करने से जानकारी में आया तथा दिनांक 21/08/2020 को तहसीलदार सोजत को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् भी राजस्व रेकर्ड में वादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज नहीं करने से बिनाय दावा बमुकाम गजनाई में पैदा हुआ, जो अन्दर म्याद पेश है। इस प्रकार वाद पेश कर सरहद मौजा ग्राम गजनाई, पटवार हल्का गुड़ाबींजा, तहसील सोजत में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर– 622/1075 की कृषि भूमि में वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की ईश्तदुआ की है।

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला–पाली

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी जरिए सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार सोजत द्वारा जबाब दावा पेश कर निवेदन किया कि वाद पत्र के पैरा संख्या 01 में वर्णित भूमि मौजा गजनाई मे स्थित है पैरा में वर्णित बाकि तथ्य वादी स्वयं साबित करे। पैरा संख्या 4 से, 8 कानूनी होना अंकित किया गया। तहसीलदार, सोजत को न्यायालय हाजा के पत्रांक/कोर्ट/2021/ 1128 दिनांक 02.10.2021 राजस्व रेकर्ड व मौका स्थिति रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार, सोजत ने अपने पत्रांक/राजस्व/2021/5920 दिनांक 06.10.2021 को रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा गजनाई में खसरा नंबर 622/1075 रकबा 1.25 है0 किस्म बा0दो0 भूमि में वर्तमान खातेदार भंवरसिंह रूपसिंह पि0 इन्द्रसिंह कौम रावत सा0 देह खातेदार दर्ज है। वक्त सेटलमेंट 2028–30 में खसरा नंबर 622/1075 में भंवरसिंह, डाउसिंह, रूपसिंह पि0 इन्द्रसिंह दुर्गसिंह वल्द पितासिंह कौम रावत सा0 देह खातेदार दर्ज किया। उपरोक्त वंशावली सम्वत् 2048–2051 तक राजस्व रेकर्ड में सही दर्ज है किन्तु 2048–2051 की जमाबंदी में नामा0 संख्या 132 से भगवानसिंह, नाथुसिंह, ईश्वरसिंह, पानी तथा कंवरी नाम का अमल दरामद़ जमाबंदी में दर्ज है जो पूर्णतया गलत है क्योकि नामा0 संख्या 132 का अवलोकन करने पर पाया गया कि खसरा नंबर 622/1075 मे किसी प्रकार का नामा0 दर्ज नहीं हुआ है। संवत् 2051 के बाद में बने राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत् 2052–2055 में केवल भंवरसिंह, रूपसिंह पि0 इन्दरसिंह एवं भगवानसिंह नाम दर्ज हो गया जो कि लिपिकिय त्रुटिवश हुआ है। खसरा नंबर 622/1075 रकबा 1.25 किस्म बा0दो0 में वक्त सेटलमेंट खसरा बंदोबस्त 2028–2030 में दर्ज नाम अनुसार विधि. संगत खातेदार भंवरसिंह, डाउसिंह, रूपसिंह पि0 इन्द्रसिंह वल्द पितासिंह नाम दर्ज करना उचित है। प्रस्तुत ज0दा0 सामिल मिसल किया गया।

अधिवक्ता वादी मय वादी द्वारा प्रस्तुत वाद व प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जबाब दावा के आधार पर निम्नांकित तनकीयात कायम की गई–

1. आया वादस्थ भूमि वादीगण के दादा/दादी ससूर दुर्गसिंह की खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि है।

–जिम्मे वादीगण

2. आया वादस्थ भूमि के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत 2052 से लगातार दर्ज वादीगण के दादा /दादी का नाम गलत रूप से हटा कर जमाबन्दी सम्वत 2076 से 2079 में भंवरसिंह, रूपसिंह, का 1/2–1/2 हिस्सा दर्ज कर दिया ।

–जिम्मे वादीगण

3. आया वादस्थ भूमि में वादीगण खसरा नम्बर 622/1075 में दुर्गसिंह के स्थान पर खातेदारी घोषणा करवाने के अधिकारी है।

–जिम्मे वादीगण

अधिवक्ता वादीगण द्वारा शहादत वादीगण के प्रस्तुत तस्दीक सुदा शपथ – पत्र हुकमसिंह पुत्र नीमसिंह पीडब्ल्यु 01, मदनसिह पुत्र जोधसिंह रावत निवासी गजनाई, पीडल्यु–2, भाणुसिह पुत्र भोमसिंह जाति रावत, पीडल्यु–3, के तस्दीक सुदा शपथ – पत्रों पर जिरह के बयान कलमबद्ध किये गये, सा0मि0 है,। अन्य शहादत वादीगण पेश नही करना चाहने से शहादत वादीगण दिनांक 15.09.2022 को बन्द की गई। शहादत प्रति पेश नही करने से बन्द की जाकर बहस वकील वादी व तहसीलदार सोजत सुनी गई।

बहस अधिवक्ता वादीगण तथा प्रतिवादी सं0 02 तहसीलदार सोजत सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण में बहस के दौरान व्यक्त किया कि सरहद मौजा गजनाई के खसरा नंबर 622/1075 रकबा 1.2500 हैक्टर किस्म बा0दो0 मूल पुरूष दुर्गसिंह वल्द पितासिंह के नाम दर्ज थी। दुर्गसिंह वादीगण के दादा / दादी ससूर थे। सेटलमेन्ट के पश्चात जमाबन्दी संवत 2034 से 2044 तथा खतौनी संवत 2035 तथा जमाबन्दी सम्वत 2048 से 2051 में वादीगण के

उपखण्ड अधिकारी

दादा व दादीसूसर का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज सूदा है। राजस्व अधिकारीयों द्वारा बिना किसी वेध अधिकार सम्वत 2052 से 2055, व 2059 तथा सम्वत 2060 से 2063 व 2064, से 2067 और 2068 से 2071 व 2076 से 2079 की सम्पूर्ण जमाबन्दीयों में वादीगण के दादा व दादीससूर दुर्गसिंह का नाम राजस्व रेकर्ड से हटा दिया गया। जिससे पून वादीगण को दादा व दादीससूर दुर्गसिंह के हक हिस्से की भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की ईश्तदुआ की है। जबाब बहस में प्रतिवादी सं0 02 तहसीलदार सोजत ने दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अनुतोष प्रदान करने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

वस्तुतः उक्त वाद प्रकरण में कायम की गई तनकीयात का प्रस्तुत वाद पत्र के परिपेक्ष्य में प्रस्तुत जबाब दावा साक्ष्य सबूतों के दस्तावेजात, गवाहान के मुख्य परीक्षण एवं जिरह प्रतिवादी पर लिये गये बयानात तथा राजस्व रेकर्ड के आधार पर बाद विवेचन/विश्लेषण कर तनकीवार विनिश्चंय निम्नांकित रूप से किया जाता है–

1. आया वादस्थ भूमि वादीगण के दादा/दादी ससूर दुर्गसिंह की खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि है।

–जिम्मे वादीगण

अधिवक्ता वादीगण ने शहादत वादीगण में प्रस्तुत शपथ पत्रो व तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट दिनांक 06.10.2023 के अनुसार सरहद मौजा गजनाई में खसरा नंबर 622/1075 रकबा 1.25 है0 किस्म बा0दो0 भूमि में वर्तमान खातेदार भंवरसिंह रूपसिंह पि0 इन्द्रसिंह कौम रावत सा0 देह खातेदार होना बताया है। रिपोर्ट में यह भी अंकन किया गया है कि वक्त सेटलमेंट 2028–30 में खसरा नंबर 622/1075 में भंवरसिंह, डाउसिंह, रूपसिंह पि0 इन्द्रसिंह दुर्गसिंह वल्द पितासिंह कौम रावत सा0 देह खातेदार दर्ज किया। उपरोक्त वंशावली सम्वत् 2048–2051 तक राजस्व रेकर्ड में सही दर्ज है किन्तु 2048–2051 की जमाबंदी में नामा0 संख्या 132 से भगवानसिंह, नाथुसिंह, ईश्वरसिंह, पानी तथा कंवरी नाम का अमल दरामद जमाबंदी में दर्ज है जो पूर्णतया गलत है क्योकि नामा0 संख्या 132 का अवलोकन करने पर पाया गया कि खसरा नंबर 622/1075 मे किसी प्रकार का नामा0 दर्ज नहीं हुआ है। संवत् 2051 के बाद में बने राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत् 2052–2055 में केवल भंवरसिंह, रूपसिंह पि0 इन्दरसिंह एवं भगवानसिंह नाम दर्ज हो गया जो कि लिपिकिय त्रुटिवश हुआ है। खसरा नंबर 622/1075 रकबा 1.25 किस्म बा0दो0 में वक्त सेटलमेंट खसरा बंदोबस्त 2028–2030 में दर्ज नाम अनुसार विधि संगत खातेदार भंवरसिंह, डाउसिंह, रूपसिंह पि0 इन्द्रसिंह वल्द पितासिंह नाम दर्ज करना उचित है बताया गया है। भूमिधारी तहसीलदार सोजत द्वारा अपनी रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि तत्कालिन राजस्व अधिकारीयों द्वारा दुर्गसिंह के विधिक वारिसानों की जॉच किये बिना ही दुर्गसिंह का नाम राजस्व रेकर्ड मे से स्रेवन से विलोपित कर दिया गया। इससे स्पष्ट होता है कि वादस्थ भूमि वादीगण के दादा/दादी ससूर दुर्गसिंह की खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि है। लिहाजा तनकी संख्या 01 बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी तय की जाती है।

2. आया वादस्थ भूमि के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत 2052 से लगातार दर्ज वादीगण के दादा / दादी का नाम गलत रूप से हटा कर जमाबन्दी सम्वत 2076 से 2079 में भंवरसिंह, रूपसिंह, का 1/2–1/2 हिस्सा दर्ज कर दिया।

– जिम्मे वादीगण

तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट दिनांक 06.10.2023 के अनुसार सरहद मौजा गजनाई में खसरा नंबर 622/1075 रकबा 1.25 है0 किस्म बा0दो0 भूमि में वर्तमान खातेदार भंवरसिंह रूपसिंह पि0 इन्द्रसिंह कौम रावत सा0 देह खातेदार होना बताया है। रिपोर्ट में यह भी अंकन किया गया है कि वक्त सेटलमेंट 2028–30 में खसरा नंबर 622/1075 में

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला–पाली

भंवरसिंह, डाउसिंह, रूपसिंह पि0 इन्द्रसिंह दुर्गसिंह वल्द पितासिंह कौम रावत सा0 देह खातेदार दर्ज किया। उपरोक्त वंशावली सम्वत् 2048–2051 तक राजस्व रेकर्ड में सही दर्ज है किन्तु 2048–2051 की जमाबंदी में नामा0 संख्या 132 से भगवानसिंह, नाथुसिंह, ईश्वरसिंह, पानी तथा कंवरी नाम का अमल दरामद जमाबंदी में दर्ज है जो पूर्णतया गलत है क्योकि नामा0 संख्या 132 का अवलोकन करने पर पाया गया कि खसरा नंबर 622/1075 मे किसी प्रकार का नामा0 दर्ज नहीं हुआ है। संवत् 2051 के बाद में बने राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत् 2052–2055 में केवल भंवरसिंह, रूपसिंह पि0 इन्दरसिंह एवं भगवानसिंह नाम दर्ज हो गया जो कि लिपिकिय त्रुटिवश हुआ है। खसरा नंबर 622/1075 रकबा 1.25 किस्म बा0दो0 में वक्त सेटलमेंट खसरा बंदोबस्त 2028–2030 में दर्ज नाम अनुसार विधि संगत खातेदार भंवरसिंह, डाउसिंह, रूपसिंह पि0 इन्द्रसिंह वल्द पितासिंह नाम दर्ज करना उचित है बताया गया है। भूमिधारी तहसीलदार सोजत द्वारा अपनी रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि तत्कालिन राजस्व अधिकारीयों द्वारा दुर्गसिंह के विधिक वारिसानों की जॉच किये बिना ही दुर्गसिंह का नाम राजस्व रेकर्ड मे से सेवन से विलोपित कर दिया गया। लिहाजा तनकी संख्या 02 बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी तय की जाती है।

3. आया वादस्थ भूमि में वादीगण खसरा नम्बर 622/1075 में दुर्गसिंह के स्थान पर खातेदारी घोषणा करवाने के अधिकारी है।

–जिम्मे वादीगण

तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट दिनांक 06.10.2023 के अनुसार सरहद मौजा गजनाई में खसरा नंबर 622/1075 रकबा 1.25 है0 किस्म बा0दो0 भूमि में वर्तमान खातेदार भंवरसिंह रूपसिंह पि0 इन्द्रसिंह कौम रावत सा0 देह खातेदार होना बताया है। रिपोर्ट में यह भी अंकन किया गया है कि वक्त सेटलमेंट 2028–30 में खसरा नंबर 622/1075 में भंवरसिंह, डाउसिंह, रूपसिंह पि0 इन्द्रसिंह दुर्गसिंह वल्द पितासिंह कौम रावत सा0 देह खातेदार दर्ज किया। उपरोक्त वंशावली सम्वत् 2048–2051 तक राजस्व रेकर्ड में सही दर्ज है किन्तु 2048–2051 की जमाबंदी में नामा0 संख्या 132 से भगवानसिंह, नाथुसिंह, ईश्वरसिंह, पानी तथा कंवरी नाम का अमल दरामद जमाबंदी में दर्ज है जो पूर्णतया गलत है क्योकि नामा0 संख्या 132 का अवलोकन करने पर पाया गया कि खसरा नंबर 622/1075 मे किसी प्रकार का नामा0 दर्ज नहीं हुआ है। संवत् 2051 के बाद में बने राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत् 2052–2055 में केवल भंवरसिंह, रूपसिंह पि0 इन्दरसिंह एवं भगवानसिंह नाम दर्ज हो गया जो कि लिपिकिय त्रुटिवश हुआ है। खसरा नंबर 622/1075 रकबा 1.25 किस्म बा0दो0 में वक्त सेटलमेंट खसरा बंदोबस्त 2028–2030 में दर्ज नाम अनुसार विधि संगत खातेदार भंवरसिंह, डाउसिंह, रूपसिंह पि0 इन्द्रसिंह वल्द पितासिंह नाम दर्ज करना बताया गया है। भूमिधारी तहसीलदार सोजत द्वारा अपनी रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि तत्कालिन राजस्व अधिकारीयों द्वारा दुर्गसिंह के विधिक वारिसानों की जॉच किये बिना ही दुर्गसिंह का नाम राजस्व रेकर्ड मे से सेवन से विलोपित कर दिया गया। वही शहादत वादी मे पेश शपथ पत्रों में भी वादीगण को दुर्गसिंह के विधिक वारिसान होना बताया है। लिहाजा तनकी संख्या 03 बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी तय की जाती है।

वस्तुतः संरहद मौजा गजनाई के खसरा नंबर 622/1075 रकबा 1.2500 हैक्टर किस्म बा0दो0 भूमि भंवरसिंह, डाउसिंह, रूपसिंह, पि0 इन्द्रसिह दुर्गसिंह वल्द पितासिंह कौम रावत के नाम नियमन की जाकर खातेदारी दर्ज की गई। जमाबन्दी सम्वत 2034 – 44, 2048 से 50, में यथावत दर्ज होकर वादीगण के दादा व दादी ससूर दुर्गसिंह का नाम अन्य खातेदारों के

साथ दर्ज सुदा रहा। किन्तु जमाबन्दी सम्वत 2052–55, 2056–59 में वादीगण के दादा व दादी ससूर दुर्गसिह का नाम सेवन से हटा दिये जाने की पुष्टि होती है। तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट अनुसार संवत् 2051 के बाद में बने राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत् 2052–2055 में केवल भंवरसिंह, रूपसिंह पि0 इन्दसिंह एवं भगवानसिंह नाम दर्ज हो जाना अंकित किया है। साथ ही खसरा नंबर 622/1075 रकबा 1.25 किस्म बा0दो0 में वक्त सेटलमेंट खसरा बंदोबस्त 2028–2030 में दर्ज नाम अनुसार विधि संगत खातेदार भंवरसिंह, डाउसिंह, रूपसिंह पि0 इन्द्रसिंह, दुर्गसिंह वल्द पितासिंह का नाम वादस्थ भूमि में बतौर खातेदार दर्ज किये जाने की अनुशंषा की है। तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट मे यह भी उल्लेख किया गया है कि सम्वत 2048–2051 की जमाबंदी में नामा0 संख्या 132 से भगवानसिंह, नाथुसिंह, ईश्वरसिंह, पानी तथा कंवरी नाम का अमल दरामद जमाबंदी में दर्ज है जो पूर्णतया गलत है क्योकि नामा0 संख्या 132 का अवलोकन करने पर पाया गया कि खसरा नंबर 622/1075 मे किसी प्रकार का नामा0 दर्ज नहीं हुआ है जिससे भूमिधारी तहसीलदार सोजत द्वारा अपनी रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि तत्कालिन राजस्व अधिकारीयों द्वारा दुर्गसिंह के विधिक वारिसानों की जॉच किये बिना ही दुर्गसिंह का नाम राजस्व रेकर्ड मे से सेवन से विलोपित कर दिया गया। पटवारी हल्का गुडाबींजा द्वारा प्रस्तुत वंशावली अनुसार वादीगण ही फोत दुर्गसिह के विधिक वारिसान है। लिहाजा अधिवक्ता मय वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा गजनाई के खसरा नंबर 622/1075 रकबा 1.2500 हैक्टर किस्म बा0दो0 कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज खातेदार के साथ दुर्गसिंह को 1/2 हिस्सा स्वीकार करते हुए दुर्गसिंह फौत होने से उनके विधिक वारिसान क्रमंश निम्बसिंह जगेसिंह जोधसिंह व गोमसिह प्रत्येक का 1/2 का 1/4 यानि प्रत्येक को 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया किया जाना उचित समझते है। दुर्गसिंह के कुल 04 पुत्र भी फौत होने से निम्बसिंह के विधिक वारिसान वादी संख्या 01 से 07 का 1/8 , जगेसिह के विधिक वारिसान वादी संख्या 08/1 से 8/5 , 09, 10, 19 से 22 का 1/8 , जोधसिंह के विधिक वारिसान वादी संख्या 12 से 14 का 1/8, तथा गोमसिंह के विधिक वारिसान वादी संख्या 15 से 18, का 1/8 हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित जाकर तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु तहसीलदार, सोजत को आदेशित किया जाना उचित समझते है।

–::आदेश::–

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा गजनाई के खसरा नंबर 622/1075 रकबा 1.2500 हैक्टर किस्म बा0दो0 कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में दुर्गसिंह वल्द पितासिंह को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। चूकि दुर्गसिंह फौत हो चुके है। इसलिए वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र मय शपथ पत्र के आधार पर दुर्गसिंह के कुल 04 विधिक वारिसान क्रमंश निम्बसिंह जगेसिंह जोधसिंह व गोमसिह प्रत्येक का 1/2 का 1/4 यानि प्रत्येक को 1/8 हिस्से, का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। दुर्गसिंह के कुल 04 पुत्र भी फौत होने से निम्बसिंह के विधिक वारिसान वादी संख्या 01 से 07 को 1/8 हिस्से के , जगेसिह के विधिक वारिसान वादी संख्या 08/1 से 8/5 , 09, 10, 19 से 22 को 1/8 हिस्से के , जोधसिंह के विधिक वारिसान वादी संख्या 12 से 14 को 1/8 हिस्से के तथा गोमसिंह के विधिक वारिसान वादी संख्या 15 से 18 को 1/8 हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर 30 दिवस में पालना प्रतिवेदन प्रेषित करें डिक्री पर्चा

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

पृथक से मूर्तिब किया जाकर पत्रावली बद्ध किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाबता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 20/05/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(ओ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारी श्रीमती कुसुमलता चौहान आर0ए0एस0

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1. हुकमसिंह पुत्र नीमसिंह		1 तहसीलदार, (भूमिधारक)सोजत
2. नारायणसिंह पुत्र नीमसिंह		
3. कानसिंह पुत्र नीमसिंह		
4. भंवरी पुत्री नीमसिंह		
5. लीला पुत्री नीमसिंह		
6. रेखा पुत्री नीमसिंह		
7. गमनी पत्नी नीमसिंह		
8. पदमसिंह पुत्र जगेसिंह		
8/1पानी देवी पत्नी पदमसिंह		
8/2 महेन्द्रसिह पुत्र पदमसिंह		
8/3 शैतानसिंह पुत्र पदमसिंह		
8/4 सुमित्रा पुत्री पदमसिंह		
8/5 कौशल्या पुत्री पदमसिंह		
प्रकाशसिंह पुत्र जगेसिंह		
9. प्रकाशसिंह पुत्र जगेसिंह		
10. नेनु पत्नी जगेसिंह		
11. झमकु पुत्री जगेसिंह		
12. मदनसिंह पुत्र जोधसिंह		
13. श्रवणसिंह पुत्र जोधसिंह		
14. इन्द्रा पुत्री जोधसिंह		
15. गणपतसिंह पुत्र भोमसिंह		
16. लखमसिंह पुत्र भोमसिंह		
17. भाणुसिंह पुत्र भोमसिंह		
18. घीसीदेवी पत्नी भोमसिंह		
19. मीना पुत्री नारायणसिंह		
20. संग्राम पुत्र नारायणसिंह जातिगणं रावत, निवासीगण गजनाई, तहसील सोजत, जला पाली।		

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 एवं 92 ए आर0टी0एक्ट 1955

राजस्व वाद संख्या :– 31/2021

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी अधिवक्ता वादी श्री धर्मीचन्द देवासी अधिवक्ता वादीगण एवं प्रतिवादी तहसीलदार, सोजत पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि डिकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा गजनाई के खसरा नंबर 622/1075 रकबा 1.2500 हैक्टर किस्म बा0दो0 कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में दुर्गसिंह वल्द पितासिंह को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। चूकि दुर्गसिंह फौत हो चुके है। इसलिए वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र मय शपथ पत्र के आधार पर दुर्गसिंह के कुल 04 विधिक वारिसान क्रमंश निम्बसिंह जगेसिंह जोधसिंह व गोमसिह प्रत्येक का 1/2 का 1/4 यानि प्रत्येक को 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। दुर्गसिंह के कुल 04 पुत्र

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

भी फौत होने से निम्बसिंह के विधिक वारिसान वादी संख्या 01 से 07 को 1/8 हिस्से के, जगेसिह के विधिक वारिसान वादी संख्या 08/1 से 8/5 , 09, 10, 19 से 22 को 1/8 हिस्से के , जोधसिंह के विधिक वारिसान वादी संख्या 12 से 14 को 1/8 हिस्से के तथा गोमसिंह के विधिक वारिसान वादी संख्या 15 से 18 को 1/8 हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर 30 दिवस में पालना प्रतिवेदन प्रेषित करें डिक्री पर्चा पृथक से मूर्तिव किया जाकर पत्रावली बद्ध किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान – मुबलिग –

बाबत ––

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 22/05/2024 को जारी की गई।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य			